प्रकरण संख्या 6/2019 रकमा व अन्य बनाम फुलजी व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.08.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजियात कुल किता 22 रकबा 2.3000 हैक्टर भूमि ग्राम दुदका में स्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 05.07.2016 से वादी का वाद स्वीकार का प्रारम्भिक डिक्री जारी की तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 14.07.2016 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12.04.2019 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 13.03.2019 को हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया। अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करने हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 फुलजी ने अपने दावे में जो वंशावली बताई है, उसे प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा अपने जवाबदावे में अस्वीकार किया गया है तथा फुलजी की वंशावली में उल्लेखित वारिसान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया है तथा राजस्व कैम्प	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की राय सुने बिना तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का बिना अवलोकन किये निर्णय पारित किया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री तथा अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

हमने अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्लीडिंग्स के आधार पर प्रकरण में दिनांक 13.05.2014 को कुल 6 तनकियां कायम की है, किन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 16.06.2016 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान की सहमति में प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। वाद पत्र एवं जवाबदावे के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि वादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सभी आवश्यक पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसके अलावा हम यह भी पाते हैं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौका कमिश्नर तहसीलदार गनोड़ा को नियुक्त किया गया है, जबकि मौके पर तहसीलदार नहीं गये हैं एवं पर्चा मौका भू–अभिलेख निरीक्षक व पटवारी द्वारा तैयार किया गया है। तद्नुसार उक्त पर्चा मौके के आधार पर जारी अंतिम डिक्री भी त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 05.07.2016 एवं अंतिम डिक्री 14.07.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय पक्षकारान के बिन्दु को सुनिश्चित करें एवं सभी वारिसान को प्रकरण में पक्षकार बनाकर उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.08.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:55:41 IST
Reason: SelfAttested

(अनिता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर